न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना –पत्र नम्बर 41/2021
अनवान अजायब सिह बनाम विजय सिह वगैरा
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

अजायब सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह उर्फ बलवीर सिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 2 आरटीपी ढाणी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
प्रार्थी

बनाम

1. विजय सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जाट नि.चक 2 आरटीपी ढाणी ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. कुलदीप सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति जाट नि.चक 2 आरटीपी ढाणी ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. कुलदीप सिंह पुत्र भूप सिंह जाति जाट नि. चक 2 आरटीपी ढाणी ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. भूप सिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी चक 2 आरटीपी ढाणी ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. तहसीलदार राजस्व, संगरिया

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट प्रस्तुत हुआ जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम स चक 2 आरटीपी के खाता सं. 14/14 जमाबंदी सं. 2071–74 में 1.130 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 2 आरटीपी के खाता सं. 49/39 जमाबंदी सं. 2071–74 में 2.466 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 2 के नाम से चक 2 आरटीपी के खाता सं. 12/12 जमाबंदी सं. 2071–74 में 2.454 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड व अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम से चक 2 आर.टी.पी. के खाता सं. 59/23 जमाबंदी सं. 2071–74 में से 6.212 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी चक 2 आरटीपी के खाता सं. 14/14 जमाबंदी सं. 2071–74 के प.नं. 199/161 मु.नं. 25 कि.नं. 3, 4/0.253 है.प्र. 5/0.228है. 7/0.128है. 8/0.253है. में स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतू आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण भारी परेशानियां उठा रहा है व अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि में अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहा है। उक्त कृषि भूमि में काश्त हेतू व उपभोग नहीं कर पा रहा है। उक्त कृषि भूमि में काश्त हेतू व उपयोग व उपभोग हेतू प्रार्थी चक 2 आरटीपी के प.नं. 199/160 मु.नं. 20 कि.नं. 21 व 22 जो अप्रार्थी सं. 1 व 2 के कब्जा में है व किला नं. 23 जो अप्रार्थी सं. 3 व 4 के कब्जा में है के दक्षिणी दिशा के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर किला नं. 21 व 22 में डेढ़ बिस्वा व किला नं. 23 में एक बिस्वा चौड़ा व 15 [illegible] लम्बा रास्ता का पिछले 25 वर्षो से उपयोग व उपभोग कर रहा है। जिसकी लिखित अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता द्वारा व अप्रार्थी सं. 3 व 4 के पिता व दादा व प्रार्थी स्वयं के बीच हुई थी जिसकी चित्र प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 कव पिता–दादा ने अपनी कृषि भूमि में से प.नं. 199/161 मु.नं. 20 कव किला नं. 23 में 60X75 वर्ग फुट जगह राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय को दान में दी जिस पर मौका पर स्कूल चल रहा है। स्कूल में आने जाने का रास्ता भी यही है। प्रार्थी को अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग व फसलो की काश्त [illegible] नहीं है। लेकिन उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी उक्त कृषि [illegible] में [illegible] चाहता है उक्त रास्ता के बदले में प्रार्थी उचित प्रतिकर [illegible] कर चुका है [illegible] के प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग व कृषि भूमि के फसलो के काश्त से लेकर फसल उत्पादन निकालने तक के लिए उक्त कृषि भूमि के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है व इसके लिए प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में अपनी पहुंच के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व साधन नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 से कई बार निवेदन किया कि आप चक 2 आरटीपी के प.नं. 199/160 मु.नं. 20 किला नं. 21 व 22 व किला नं. 23 के दक्षिणी दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर किला न. 21 व 22 में डेढ़ डेढ़ बिस्वा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.10 14:54:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

किला नं. 23 में एक बिस्वा चौडा व 15 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत करवा देवे व राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि गै.मु. कृषि भूमि के रूप में दर्ज करवा देवे और उसके बदले में अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने पूर्व में ही उचित प्रतिकर प्राप्त कर लिया है, तो इस पर अप्रार्थी सं. 1 ता 4 प्रार्थी के निवेदन से स्पष्ट इनकार हो गए है। प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्यों के लिए आने जाने व उपयोग व उपभोग के लिए अन्य कोई वैकल्पिक साधन व रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। अप्रार्थी सं. 5 तहसीलदार राजस्व संगरिया को भू धारक होने की वजह से पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थना– पत्र रास्ता स्वीकृत करने का है जो 1/– रूपए के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 2 आरटीपी के प.नं. 199/160 मु.नं. 20 किला नं. 21 व 22 व किला नं. 23 के दक्षिणी दिशा के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर किला नं. 21 व 22 में डेढ़ डेढ बिस्वा व किला नं. 23 में एक बिस्वा चौड़ा व 15 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे व राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज कर राजस्व मानचित्र में अंकित किया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये लेकिन बार–बार समय दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 593 दिनांक 14.11.2022 द्वारा अवगत करवाया कि प्रार्थी चक 2 आरटीपी के प.न. 199/160 मु.न. 20 किला नं. 21,22 में 1.5 बिस्वा चौड़ा व किला नं. 23 में 15 फीट लम्बा व 1.5 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता एवं प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट्तया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 2 आरटीपी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्बा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 2 आरटीपी के प.न. 199/160 मु.न. 20 किला नं. 21, 22 के दक्षिण दिशा के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर किला नं. 21 व 22 में 1.5 बिस्वा चौड़ा व किला नं. 23 में 15 फीट लम्बा व 1.5 बिस्वा चौड़ा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये तथा राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया [illegible] करवाया जावें। अप्रार्थीगण को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार [illegible] किया जाना सुनिश्चित करावे, तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

आदेश आज दिनांक 5.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.10 14:54:10 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया